# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

## पाठ्यक्रम ( Syllabus ) परीक्षा 2024

## कक्षा-9

## विषय : समाजोपयोगी उत्पाद कार्य एवं समाज सेवा ( 81 )

## (S.U.P.W. & C.S.)

समय 3.15 घण्टे | पूर्णांक–100

| क्र.सं. | अधिगम क्षेत्र | अंक भार |
|---|---|---|
| (क) | कक्षान्तर्गत अधिगम कार्य | |
| | (i) अनिवार्य प्रवृत्ति समूह | 25 |
| | (ii) वैकल्पिक प्रवृत्ति समूह | 45 |
| (ख) | पाँच दिवसीय शिविर<br>विद्यार्थियों को समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों से तात्पर्य, उसकी आवश्यकता एवं वर्गीकरण यथा घर, विद्यालय एवं समुदाय से अवगत कराया जाये। | 30 |
| | **कुल अंक भार** | **100** |

**(क) कक्षान्तर्गत अधिगम कार्य–**

**(i) अनिवार्य प्रवृत्ति समूह**

1. ईंधन बचाने एवं प्रदूषण कम करने के उपाय एवं साधनों का उपयोग, उनकी सामान्य जानकारी, रखरखाव एवं साधारण मरम्मत : स्टोव, गैस चूल्हा, वाहन। 05

2. निम्नलिखित का रखरखाव एवं साधारण मरम्मत : घरेलू पेयजल व्यवस्था एवं पानी का नल आदि, टॉर्च, इमरसन रॉड, बिजली का फ्यूज। 05

3. पोस्ट ऑफिस (डाकघर) सम्बन्धी निम्नलिखित सेवाओं की जानकारी एवं उनका उपयोग करने की क्षमता उत्पन्न करना–

   (i) बचत खाता (ii) पोस्टल ऑर्डर

   (iii) रजिस्ट्री (iv) स्पीड पोस्ट 05

4. विद्यालय प्रबन्धन :

   (i) वृक्षारोपण (ii) स्वच्छता

   (iii) वाटिका संरक्षण (iv) कचरा प्रबन्धन

   (v) खेल के मैदान का संरक्षण (vi) रास्तों का रखरखाव व संरक्षण 05

5. रेल्वे, बस समय सारणी एवं मार्ग के नक्शे पढ़ना और उनका उपयोग करना। विद्युत मीटर पढ़ना तथा उससे व्यय का अनुमान लगाना। 05

**(ii) वैकल्पिक प्रवृत्ति समूह–**

इस कार्य के लिये निम्नांकित अ, ब, स एवं द चार क्षेत्रों में प्रवृत्ति समूह दिये गये हैं। प्रत्येक समूह में से एक प्रवृत्ति संस्था प्रधान चुनकर कक्षान्तर्गत कार्य सम्पन्न करायेंगे–

**क्षेत्र (अ) प्रवृत्ति समूह :** 10

1. निम्नलिखित का निर्माण :

   वेसलीन, अमृतधारा बाम, टिंचर आयोडीन, दन्त मंजन,
   गौ आधारित सामग्री : गौमूत्र का अर्क व कीटनाशक।

2. वाउचर को आधार मानकर स्टॉक रजिस्टर तैयार करना (स्थायी एवं अस्थायी स्टॉक रजिस्टर)।

3. दैनिक खर्च लिखने का अभ्यास।

4. दैनन्दिनी लेखन।

5. व्यापारिक पत्र लेखन, ऑर्डर पत्र, शिकायती पत्र एवं सर्कूलर पत्र, सन्दर्भ पत्र एवं प्रुफ रीडिंग।

**क्षेत्र (ब) प्रवृत्ति समूह :** 10

1. निम्नलिखित का निर्माण– अचार एवं मुरब्बा, आलू चिप्स, शर्बत, नीबू पानी,
   ओ.आर.एस. का घोल, लस्सी, जलजीरा आदि।

2. खाद्य सामग्री का प्राकृतिक रुप से संरक्षण– अनाज का संरक्षण, हरी सब्जियों
   एवं फलों का निर्जलीकरण एवं उनका रख–रखाव व पैकिंग।

**क्षेत्र (स) प्रवृत्ति समूह :** 10

1. विभिन्न प्रकार के टाँके लगाना, कपड़ों की मरम्मत करना, हुक लगाना,
   काज बनाना और बटन टाँकना।

2. कढ़ाई और फेब्रिक पेंटिंग, कपड़ों पर कलफ लगाना बाटिक पेंटिंग।

**क्षेत्र (द) प्रवृत्ति समूह :** 10

1. मोम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी–कुट्टी से उपयोगी वस्तुएँ बनाना, जिल्दसाजी करना।

2. अनुपयोगी सामग्री से सजावट की वस्तुएं बनाना, रंगोली बनाना।

**विशेष :**

(i) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा के उद्देश्यों के अनुरूप संस्था प्रधान उपर्युक्त अधिगम कार्यों के अतिरिक्त भी यदि सुविधा और आवश्यकतानुसार अन्य वैकल्पिक प्रवृत्ति प्रारम्भ करना चाहें तो बोर्ड को उस प्रवृत्ति की योजना भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर प्रारम्भ करवा सकेंगे।

(ii) किसी भी एक प्रवृत्ति के कार्य सम्पादन एवं प्रदर्शन हेतु। 05

**(ख) पाँच दिवसीय शिविर :** 30

शिविर में शिक्षार्थियों को एक साथ रहने तथा मिलजुल कर कार्य करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जायें, जिससे उनमें भावनात्मक एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव और परस्पर सहयोग की भावना का विकास हो। वे मानवीय गुण, सहिष्णुता और स्वावलम्बन जैसे गुणों का विकास कर सकें। शिविर में निम्नलिखित कार्य आयोजनीय हैं–

1. **सामुदायिक सेवा कार्य –**

(i) स्थानीय सन्दर्भ में सामाजिक चेतना एवं राष्ट्रीय चेतना कार्य जैसे– टीकों का ज्ञान, साक्षरता का प्रसार, अल्प बचत, स्वास्थ्य ज्ञान, पर्यावरण एवं प्रदूषण, सहकारिता और नामांकन आदि।

(ii) वृक्षारोपण एवं रोपित वृक्षों के सुरक्षा कार्य।

(iii) सार्वजनिक स्थानों की सफाई, पनघट की सफाई एवं पानी के गढ्ढों में फिनाइल एवं केरोसीन डालना।

(iv) शिविर स्थल की सफाई और उनका सौन्दर्यीकरण।

(v) भोजन बनाना, भोजन परोसने की सेवाएं, जल तथा प्रकाश व्यवस्था।

(vi) सेवा कार्य–वृद्वाश्रम, अनाथालय, पालनघर, दृश्यानुभूति व संवेदन हेतु भ्रमण व सेवा कार्य।

(vii) मेले, त्यौहार, सम्मेलन में जल सेवा, वाहन व्यवस्था व पदवेश (जूते) व्यवस्था।

2. **सर्वेक्षण एवं संकलन कार्य –**

(i) सर्वेक्षण एवं आलेख तैयार करना : सामाजिक, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, स्थानीय कृषि उपज, विभिन्न व्यवसाय, लोक कथा, लोक गीत, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, निरक्षरता, विद्यालय परित्याग करने वाले छात्र, टीके लगे शिशु, खेलों में दक्ष व्यक्ति, शिक्षित बालिकाएँ, बेरोजगार व्यक्ति आदि।

(ii) संकलन कार्य एवं आलेख तैयार करना।

(iii) पर्यावरण अध्ययन (भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं प्रदूषण सम्बन्धी)।

3. **राष्ट्रीय भावात्मक एकता प्रायोजना कार्य–**

इस क्षेत्र की प्रवृत्तियों का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय भावात्मक एकता का विकास करना है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रवृत्तियों की क्रियान्विति निम्नांकित दो पक्षों को आधार बनाकर दी जा सकती है–

(i) महापुरूषों के जीवन चरित्र से सम्बंधित प्रवृत्तियाँ :

(क) शिविर में सम्भागी छात्रों के दल का नामकरण महापुरूषों के नाम पर करना।

(ख) सम्बन्धित महापुरूषों के जीवन चरित्र पर वार्ताएँ आयोजित करना।

(ग) सम्बन्धित महापुरूषों के कथन, सूक्तियों, विचारों आदि का संकलन करना।

(घ) सम्बन्धित महापुरूषों के जीवन–वृत्त, उल्लेखनीय घटनाओं का लेखन एवं चित्रण तथा चित्र संग्रह बनाना।

(ड़) सम्बन्धित महापुरूषों के जीवनवृत की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की झाँकी प्रस्तुत करना।

(ii) देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित प्रवृत्तियाँ :

(क) शिविर में सम्भागी छात्रों के प्रत्येक दल का स्वयं को एक राज्य विशेष से सम्बद्व करना।

(ख) सम्बन्धित राज्य की भौगोलिक स्थिति का अंकन, चित्रण एवं लेखन।

(ग) सम्बन्धित राज्य के विशिष्ट स्थानों (ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक, राजनैतिक) से सम्बन्धित आलेख तैयार करना।

(घ) सम्बन्धित राज्य के साँस्कृतिक रूपों की प्रस्तुतियाँ : वेशभूषा अभिनय, गायन, झाँकी, नृत्य, संवाद, चित्रण, रीति–रिवाज आदि।

4. **साँस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्य–**

(i) साँस्कृतिक कार्यक्रम : नृत्य, सामूहिक गीत, एकांकी, एकाभिनय, मूकाभिनय, प्रदर्शन आदि।

(ii) साहित्यिक कार्यक्रम : कविता पाठ, वाद–विवाद, समस्या पूर्ति, लघु कथा, कथन, चुटकले आदि।

(iii) कैम्प फायर (संवाद, लोकगीत, लोक भजन, नृत्य व अन्य कार्यक्रम)।

(iv) योगाभ्यास, व्यायाम एवं रोचक खेल।

उपर्युक्त साँस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय चेतना एवं समाज–सुधार से सम्बंधित कार्यक्रम आयोजित किये जावें। दैनिक कार्यक्रम में व्यायाम से पूर्व प्राणध्वनि तथा शयन से पूर्व कार्योत्सर्ग तथा प्रेक्षाध्यान सम्मिलित किया गया है।

**मूल्यांकन** :

इस विषय के प्रमुख लक्ष्यों के अनुरूप श्रम कार्यों एवं समाज सेवा कार्यों में संभागीत्व के माध्यम से छात्रों में श्रम के प्रति रूचि, समाज सेवा कार्य में पहल एवं रचनात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करना है। इसके लिए आवश्यक है कि एक ओर प्रवृत्ति में छात्र के निरन्तर सम्भागीत्व एवं दूसरी ओर उसके कार्य निष्पादन पर नजर रखी जाए। अतः मूल्याँकन के प्रमुखतः दो पक्ष होंगे–

(i) छात्र का संभागीत्व

(ii) उसका कार्य निष्पादन

**प्रवृत्ति कार्यों का मूल्यांकन** :

प्रवृत्ति कार्य समाप्ति पर प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में सतत् आंतरिक मूल्यांकन द्वारा किया जाएगा। प्रवृत्ति अनुसार अंक विभाजन निम्नानुसार है–

| | **प्रवृत्ति** | **अंक 100** |
|---|---|---|
| (1) | अनिवार्य प्रवृत्ति (प्रत्येक समूह के 05 अंक) | 25 |
| (2) | वैकल्पिक प्रवृत्ति (प्रत्येक समूह के लिये 10 अंक तथा 5 अंक किसी भी एक प्रवृति के कार्य सम्पादन एवं प्रदर्शन हेतु) | 45 |
| (3) | शिविर कार्य | 30 |
| | (i) सामुदायिक सेवा कार्य | 10 |
| | (ii) सर्वेक्षण एवं संकलन कार्य | 05 |
| | (iii) राष्ट्रीय भावात्मक एकता प्रायोजना कार्य | 05 |
| | (iv) साँस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक कार्य | 10 |

पूर्णांक 100 में से अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड परिवर्तित कर अंक तालिका में ग्रेडिंग प्रदान की जाए –

| अंकों का प्रतिशत | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड | E | D | C | B | A |
| विवरण | सामान्य से नीचे | सामान्य | अच्छा | बहुत अच्छा | उत्कृष्ट |

**विशेष** :–

(i) प्रवृत्तियों के संचालन हेतु बोर्ड द्वारा जारी संदर्शिका का अवलोकन करें।

(ii) मूल्यांकन हेतु सामयिक परीक्षाओं का आयोजन अन्य विषयों की तरह किया जा सकता है।

**निर्धारित पुस्तक** :

**समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर